फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम दीगोद

रामस्वरूप बनाम रामप्रकाश

किस्म मुकदमा दावा नं. 54/12 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.4.12	वाद वकील रघुवीर सिंह ने उप. होकर पेश किया दर्ज रजिस्टर किया जावे प्रतिवादीगण की तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 16/7/12 को पेश हो [signature]	
16/7/12	पत्रावली पेश उ.पी. वकील वादी उपा. प्रति. वकील 2, 3 व ओ श्री रामबाबू दाधीच प्रति. 1 की ओर से श्री [illegible] एस.के. [illegible] वकालत नामा पेश किया [illegible] प्रति पत्री [illegible] [illegible] पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 13.8.12 को पेश हो [signature]	
13.8.12	पत्रावली पेश उ.पी. वकील पक्षकार वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 8.10.12 को पेश हो [signature]	
8.10.12	पत्रावली पेश उ.पी. वकील पक्षकार पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20.11.12 [illegible] [signature]	

... वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्वक दिनांक [illegible] को पेश हो।

1/11/18

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्वक दिनांक --11/12/18-- को पेश हो।

11/12/18

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत् दिनांक --29.1.19-- को पेश हो।

22.1.19

पत्रावली उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पेश हुई उभयपक्ष मय अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष ने जरिये अधिवक्ता प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किये गये कि उक्त प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनाम हो गया है वादी तथा प्रतिवादी नं0 1 व 2 वर्णित आराजी में 1/3, 1/3 हिस्सा किये जानें में सहमत है तथा वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 इस प्रकार तीनों पक्षकार अपनें पिता की पुश्तेनी भूमि पिता की मृत्यु के बाद इनमें इन्तकाल खुलनें में सहमत है, वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के मध्य कोई विवाद शेष नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 क्रमशः 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से में सहमत है एवं 1/3, 1/3, 1/3 का सहखातेदार दर्ज किया जावें। प्रतिवादी नं0 2 वसीयत के आधार पर भविष्य में भी कोई कार्यवाही नहीं करेगा। वादी के फोती इन्तकाल खुलनें के पश्चात् वादी प्रतिवादी नं0 1 को साढे तीन बीघा भूमि का

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
...करण करेगा जो रामप्रसाद के खातें दर्ज करवायेगा। इस प्रकार राजीनामा प्रस्तुत कर उभयपक्ष ने निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा तस्दीक करनें की कृपा करें तथा वाद को घोषणा तक स्वीकार फरमाया जावें। राजीनामा उपस्थित पक्षकारों वादी रामस्वरूप पुत्र स्व0 रामधन, प्रतिवादी नं0 1 रामप्रसाद पुत्र स्व0 रामधन एवं प्रतिवादी नं0 2 संतोष पुत्री स्व0 रामधन को अधिवक्तागण की उपस्थिति में पढकर सुनाया गया, राजीनामा पर पक्षकारों ने सहमति प्रकट करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षकर किये, वादी की पहचान वकील श्री रघुवीर सिंह द्वारा, प्रतिवादी नं0 1 की पहचान वकील श्री ओमप्रकाश सोनी एवं प्रतिवादी नं0 2 की पहचान वकील श्री रामबाबू दाधीच द्वारा प्रमाणित की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 06.06.2018 को लोक अदालत केम्प सीमलियां में वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 प्रत्येक को 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी, अब उभयपक्ष द्वारा प्रकरण को राजीनामा के आधार पर घोषणा तक स्वीकार किये जानें में सहमत है। चूंकि प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 को पूर्व में विवादित आराजी वाके ग्राम सीमलियां तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 31 रकबा 2.70 हे0, ख0नं0 32 रकबा 0.30 हे0, ख0नं0 567 रकबा 0.10 हे0, ख0नं0 614 रकबा 2.47 हे0, ख0नं0 614/956 रकबा 2.27 हे0 कुल किता 5 रकबा 7.84 हे0 भूमि में प्रत्येक को 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी तथा अब प्रकरण में राजीनामा के अनुसार उभयपक्ष प्रकरण को घोषणा तक स्वीकार किये जानें की सहमति प्रकट की है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम सीमलियां तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 31 रकबा 2.70 हे0, ख0नं0 32 रकबा 0.30 हे0, ख0नं0 567 रकबा 0.10 हे0, ख0नं0 614 रकबा 2.47 हे0, ख0नं0 614/956 रकबा 2.27 हे0 कुल किता 5 रकबा 7.84 हे0 भूमि में वादी रामस्वरूप पुत्र स्व0 रामधन, प्रतिवादी नं0 1 रामप्रसाद पुत्र स्व0 रामधन, प्रतिवादी नं0 2 संतोष पुत्री स्व0 रामधन प्रत्येक को 1/3, 1/3 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। दिनांक 06.06.2018 को पारित प्राथमिक डिक्री में तहसीलदार को जारी बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करनें का आदेश निरस्त किया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला-कोटा (राज.)	